


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी,



समग्र शिक्षा, जिला-सुकमा (छत्तीसगढ़)

Ph. & Fax No.-07864284401, Email- rmsa.sukma@gmail.com

क्रमांक/ 252 /जि.परि.अ./स.शि./PTT प्रशिक्षण/2026-27

सुकमा, दिनांक 19/06/2026

// स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु प्रेस विज्ञप्ति //

कलेक्टर महोदय, जिला सुकमा (छ.ग.) के निर्देश एवं अनुमोदन दिनांक 12.06.2026 के अनुसार सुकमा जिला में संचालित शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अंग्रेजी/गणित/विज्ञान/भौतिकी/रसायन/जीव विज्ञान/इतिहास/राजनीति/अर्थशास्त्र/वाणिज्य विषय के व्याख्याता के कुल 75 रिक्त पदों पर जिलाखनिज न्यास निधि मद से स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर संबंधित प्राचार्य शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल, जिला सुकमा को दिनांक 19.06.2026 से 27.06.2026 को संध्या 05:00 बजे तक जमा किया जावेगा। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। विज्ञापित पदों का विषयवार, विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	वि.खं.	स्कूल का नाम	व्याख्याताओं के रिक्त पदों की जानकारी										योग
			अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	भौतिक	रसायन	जीव विज्ञान	इतिहास	राजनीति	अर्थशास्त्र	वाणिज्य	
1	सुकमा	शा.उ.मा.वि. सुकमा	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
2	सुकमा	शा. कन्या उ.मा.वि. सुकमा	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
3	सुकमा	शा.उ.मा.वि. गादीरास	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	सुकमा	शा.उ.मा.वि. केरलापाल	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	4
5	सुकमा	शा.उ.मा.वि. झापरा	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
6	सुकमा	शा. कन्या शिक्षा परिसर, सुकमा	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
7	सुकमा	शा. हाई स्कूल मुरतोण्डा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
8	सुकमा	शा. हाई स्कूल रामाराम	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	सुकमा	शा. नवीन हाई स्कूल गादीरास	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	सुकमा	शा. हाई स्कूल फूलबगड़ी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	सुकमा	शा. पो.के. हाई स्कूल मुरतोण्डा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	सुकमा	शा. पो.के. हाई स्कूल गादीरास	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
13	सुकमा	शा. पो.के. हाई स्कूल केरलापाल	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	सुकमा	शा. पो.के. हाई स्कूल बुड़दी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
15	कोण्टा	शा.उ.मा.वि. कोन्टा	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4
16	कोण्टा	शा.उ.मा.वि. दोरनापाल	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
17	कोण्टा	शा.उ.मा.वि. जगरगुण्डा	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
18	कोण्टा	शा.उ.मा.वि. एर्बोर	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3
19	कोण्टा	शा. हाई स्कूल भेजी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
20	कोण्टा	शा. हाई स्कूल दुब्बाटोटा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21	कोण्टा	शा. हाई स्कूल चिन्तलनार	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
22	कोण्टा	शा. पो.के. हाई स्कूल कोन्टा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
23	कोण्टा	शा. पो.के. हाई स्कूल चिन्तागुफा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24	कोण्टा	शा. पो.के. हाई स्कूल मरईगुड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	कोण्टा	शा.उ.मा.वि. गोलापल्ली	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
26	छिन्दगढ़	शा.उ.मा.वि. छिन्दगढ़	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	6
27	छिन्दगढ़	शा.उ.मा.वि. तालनार	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
28	छिन्दगढ़	शा.उ.मा.वि. किकिरपाल	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
29	छिन्दगढ़	शा. हाई स्कूल कुन्दनपाल	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	छिन्दगढ़	शा. हाई स्कूल कुमाकोलेंग	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31	छिन्दगढ़	शा. हाई स्कूल गुम्मा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
32	छिन्दगढ़	शा. हाई स्कूल कांजीपानी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
33	छिन्दगढ़	शा. हाई स्कूल गंजेनार	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
34	छिन्दगढ़	शा. हाई स्कूल पेन्दलनार	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
35	छिन्दगढ़	शा. पो.के. हाई स्कूल छिन्दगढ़, पिट्टेपारा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
36	छिन्दगढ़	शा.उ.मा.वि. तोंगपाल	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
37	छिन्दगढ़	शा. पो.के. हाई स्कूल पाकेला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
योग:-			9	24	14	11	9	2	2	2	1	1	75

शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सारणी के सरल क्रमांक 2 में शा.कन्या उ.मा.वि. सुकमा में अंग्रेजी एवं गणित हेतु दिये गये 01-01 पद (कुल 02 पद) शासकीय कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय (Type III) सुकमा हेतु आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है उसी प्रकार सरल क्रमांक 25 में शा.उ.मा.वि. छिन्दगढ़ में अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान हेतु दिये गये 01-01 पद (कुल 03 पद) शासकीय कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय (Type III) छिन्दगढ़ (रानीबहाल) के लिए आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त पद के लिए केवल महिलाओं हेतु आरक्षित रहेंगे।

स्थानीय अतिथि शिक्षक की शैक्षणिक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मापदण्ड:-

1. **स्थानीय अतिथि शिक्षक व्यवस्था:-** यह शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था संबंधित शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी। संस्था में पद रिक्तता की स्थिति में सुकमा जिले के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा। स्थानीय अतिथि शिक्षक चयन हेतु योग्य अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर रिक्त पद वाले विषय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. **प्राथमिकता:-** विगत वर्ष में कार्य पर रखे गये स्थानीय अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिसके लिए इस वर्ष कार्य पर रखे जाने हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
3. **शैक्षणिक योग्यता:-** हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्यापन हेतु स्थानीय अतिथि शिक्षक के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि बी.एड को प्राथमिकता होगी।
4. **स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु वरीयता क्रम:-**
 - 4.1 स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम ग्राम पंचायत/विकासखण्ड/जिला के आवेदनों को क्रमशः प्राथमिकता दी जाएगी।
 - 4.2 एक ही ग्राम पंचायत/विकासखण्ड/जिला से दो या दो से अधिक आवेदन उपलब्ध होने की स्थिति में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के मेरिट को आधार माना जावेगा।
 - 4.3 इनमें से किसी भी परिस्थिति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले हितग्राही को प्राथमिकता दिया जावेगा।
 - 4.4 निर्धारित शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता के अभ्यर्थी प्राप्त न होने पर उपरोक्त अहर्ताओं में शिथिलता दी जा सकेगी। अध्यापन विषयों के आधार पर अंग्रेजी विषय के लिये बी.एस.सी./बी.ए./बी.काम तथा गणित/जीव विज्ञान/भौतिकी/रसायन के लिये संबंधित विषयों में बी.एस.सी. गणित/जीव विज्ञान को प्राथमिकता दिया जावेगा तथा उक्त विषय के साथ बी.एड को प्राथमिकता दिया जावेगा।
5. **मानदेय:-** स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु मानदेय रूपये 18,000/- मासिक होगा। इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात् संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। संस्था प्रमुख द्वारा एक पंजी पृथक से संधारित की जाएगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के वेतन पत्रक के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।
6. **शिक्षण अवधि:-** माह- जुलाई 2026 से अप्रैल 2027 तक ही होगी।
7. **अन्य शर्तें:-**
 - 7.1 स्थानीय अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है। अतः नियमानुसार किसी प्रकार का कोई नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा दी जावेगी। साथ ही स्थानीय अतिथि शिक्षक द्वारा किसी प्रकार से पुनः कार्य पर लेने की मांग नहीं करेंगे। संस्था प्रमुख स्थानीय अतिथि शिक्षकों को अवगत करायेंगे।
 - 7.2 शाला में स्थानीय अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमित व्याख्याता के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी। यह व्यवस्था एक वित्तीय वर्ष 2026-27 तक मान्य होगा एवं संलग्न विद्यालय सूची अनुसार ही स्थानीय अतिथि शिक्षक की सेवा ली जावेगी।
 - 7.3 स्थानीय अतिथि शिक्षक की शैक्षणिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
 - 7.4 स्थानीय अतिथि शिक्षक की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहभागी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे। विवाद की स्थिति में कलेक्टर महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
 - 7.5 स्थानीय अतिथि शिक्षक की सेवा लिये जाने हेतु जारी रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
8. **निरीक्षण:-** संबंधित जिला मिशन समन्वयक, प्राचार्य, संकुल प्राचार्य, खण्ड स्रोत समन्वयक, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा पाक्षिक निरीक्षण/अवलोकन रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। जिसमें उनके कार्यों की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख होगा।


जिला शिक्षा अधिकारी

सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा,
जिला सुकमा (छत्तीसगढ़)

// आवेदन पत्र प्रारूप //

स्थानीय अतिथि शिक्षक पद हेतु

प्रति,

प्राचार्य

विकासखण्ड सुकमा/कोण्टा/छिन्दगढ़
जिला सुकमा (छत्तीसगढ़)

1. आवेदित पद का नाम :-
2. विषय :-
3. आवेदित शाला का नाम :-
4. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :-
5. पिता/पति का नाम :-
6. माता का नाम :-
7. लिंग (महिला/पुरुष/अन्य) :-
8. जन्म तिथि (अंकों में) :-
- जन्म तिथि (शब्दों में) :-
9. वर्ग :-
10. जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक :-
11. पंजीयन दिनांक :-
12. शैक्षणिक योग्यता

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा /स्तर का नाम	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

13. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सूची:-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

// घोषणा पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है इनमें कोई जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में विज्ञापन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा बिना बताए मेरे आवेदन को निरस्त करते हुए ली जा रही सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा एवं उनका निर्णय मुझे मान्य होगा।
दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम:

पूर्ण पता: